




राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

कमांक एफ 2(26)परावि/प्रशा.1/वि.अ./संस्था/RRDS-10/2012/284 जयपुर दिनांक:- 11-2-2020

-: आदेश :-

श्री पारसराम, RRDS, विकास अधिकारी, पंचायत समिति नागौर जिला नागौर का दिनांक 1.11.2019 को आकस्मिक निधन हो जाने के कारण इनका नाम राजस्थान ग्रामीण विकास राज्य सेवा संवर्ग से पृथक किया जाता है।


(डॉ. आरूषी मलिक)

विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्राविपरा, राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज, राजस्थान, जयपुर।
6. निजी सचिव, आयुक्त, नरेगा, राजस्थान जयपुर।
7. निदेशक, पेंशन विभाग, राजस्थान जयपुर।
8. निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर।
9. संभागीय आयुक्त, अजमेर।
10. जिला कलक्टर, नागौर।
11. अतिरिक्त/मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद नागौर।
12. विकास अधिकारी पंचायत समिति नागौर (नागौर)।
13. एसीपी मुख्यालय को एक प्रति प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करावें।
14. आदेश पत्रावली/निजी पत्रावली।



(गौरव चतुर्वेदी)

उपायुक्त एवं संयुक्त शासन सचिव (द्वितीय)